रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)—72.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 180] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 1981/वैसाख 10, 1903

No. 180] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 1981/VAISAKHA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1981

का. आ. 325 (अ)/18-कक/उ. वि. वि. अ./81.— भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. एस. ओ. 293 (अ)/18-ए ए/उ वि. वि. अ/78, दिनांक 1 मई, 1978 (जिसे इसमें, इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के आसनसोल के समीप जे. के. नगर में स्थित औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक, की उपधारा (1) के अधीन 30 अप्रैल, 1979 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) एक वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड को औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के दिनांक 25 अप्रैल, 1979 के एस. ओ. 224 (अ) संख्यक आदेश द्वारा उक्त आदेश एक वर्ष की और अवधि के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 1980 तक बढ़ा दिया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग के दिनांक 29 अप्रैल, 1980 के एस. ओ. 286 (अ) संख्यक तथा दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 के का. आ. 869 (अ) संख्यक आदेशों द्वारा उक्त आदेश की अवधि दिनांक 30 अप्रैल, 1981 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को एक वर्ष की और अवधि के लिए दिनांक 30 अप्रैल, 1982 तक एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध-तन्त्र के अधीन बना रहना चाहिए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त आदेश 30 अप्रैल, 1982 तक, इसमें यह दिन भी शामिल है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फाइल सं 4 (1)/80-सी यू. एस]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 30th April, 1981

S.O. 325(E)/18AA/IDRA/81.— Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No S.O. 293(E)[18AA[IDRA[

78, dated the 1st May, 1978, (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking located at Jaykaynagar near Asansol belonging to the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta, was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of one year upto and inclusive of the 30th April, 1979 and the Bharat Aluminium Company Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 224(E), dated the 25th April, 1979, the duration of the said Order was extended for a period of one year upto the 30th April, 1980;

And, whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No S.O. 286(E) dated the 29th April, 1980 and No. S.O. 869(E)18AA|IDRA|80, dated the 31st October, 1980, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th April, 1981;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Bharat Aluminium Company Limited for a further period of one year upto the 30th April, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 30th April, 1982.

[F. No 80-CUS.]

का. आ. 326(अ)/18 एफ. बी. आई. डी. आर. ए./81.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के दिनांक 2 मई, 1978 के आदेश संख्या का. आ 302 (अ)/18-एफ. बी./आई. डी. आर. ए./78 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (1) खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों, जिनका एल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के आसनसोल के समीप जे. के. नगर स्थित औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों, का प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेंगे ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के दिनांक 29 अप्रैल, 1980 के का. आ. 287 (अ)/18-एफ. बी./आई. डी. आर. ए./79 संख्यक द्वारा उक्त आदेश एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 1 मई, 1980 तक बढ़ा दिया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास के दिनांक 29 अप्रैल, 1980 के का. आ. 287 (अ)/18-एफ. एफ. बी./आई- डी. आर. ए./80 संख्यक तथा दिनांक 31 अक्तूबर 1980 के का. आ. 870 (अ) संख्यक आदेशों द्वारा उक्त आदेश की अवधि दिनांक 30 अप्रैल, 1981 तक बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार इस बारे में संतुष्ट हो गई है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए 30 अप्रैल, 1982 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, और बढ़ा दी जाए ;

अत: अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 30 अप्रैल, 1982 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, बढ़ाती है ।

[फाइल सं. 4(1)/80 सी. य. एस.]

च. कि. मोदी, संयुक्त सचिव

S.O. 326(E)|18FB|IDRA|81.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 302(E)|18FB|IDRA|78, dated the 2nd May, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order to which the industrial undertaking located at Jaykaynagar near Asansol and belonging to the Aluminium Corporation of India Limited Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking, shall remain suspended for a period of one year and that all rights previleges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No S.O. 225(E)|18FB|IDRA|79, dated the 29th April, 1979, the duration of the said Order was extended for a period of one year upto the 1st May, 1980;

And, whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No S.O. 287(E)|18FB|IDRA|80, dated the 29th April, 1980 and S.O. No. 870(E)/18FB/IDRA/80 dated the 31st October, 1980, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th April, 1981;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 30th April, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 30th April, 1982.

[F. No. 4(1)|80-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981